न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी :सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 04/2023 राजस्व अपील

1. कैलाश पुत्र नाथू जाति मीना निवासी कोरडा खुर्द तहसील बहरावण्डा जिला दौसा।

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बहरावण्डा जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

(अपील विरूद्व उप तहसीलदार बहरावण्डा निर्णय दिनांक 29.08.2018 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम कैलाश मुकदमा संख्या 95/2018 अन्तर्गत धारा 91 राज. लैण्ड रेवेन्यू एक्ट)

उपस्थिति : अपीलान्ट स्वयं उपस्थित।

: श्री राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

:– निर्णय :– दिनांकः 13.05.2024

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा के विरूद्व निर्णय दिनांक 29.08.2018 फरमाया जाकर अपीलान्ट कैलाश पुत्र नाथू मीना निवासी कोरडा खुर्द तहसील बहरावण्डा को तीन माह के सिविल कारावास की सजा व पेनल्टी से दण्डित करने का निर्णय पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा के निर्णय दिनांक 29.08.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब कर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अपीलान्ट द्वारा अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय का मालूम ही नहीं था। दिनांक 12.03.2023 को पुलिस का सिपाही वारण्ट लेकर आया तब अपीलान्ट को उप तहसीलदार बहरावण्डा के निर्णय का पता चला। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को पूर्ण सुनवाई व सबूत का मौका ही नहीं दिया गया। जबकि पीडित पक्ष को पूर्ण सुनवाई जवाब आदि का मौका देकर की निर्णय पारित करना चाहिये था। अपीलान्ट ने पूर्व में भी किसी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है फिर भी अपीलान्ट को अतिक्रमी मानकर सजा कर दी है। पटवारी ने भी अपीलान्ट को केस के सम्बन्ध में कोई जानकारी प्रदान नहीं की। अपीलान्ट की ओर से इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलान्ट शपथकर्ता का भूमि खसरा नम्बर 86 रकबा 0.10 है. पर कोई कब्जा नहीं है। अपीलान्ट शपथकर्ता ने इस भूमि पर से अपना कब्जा हटा लिया है एवं अपीलान्ट शपथकर्ता भविष्य में भी उक्त भूमि पर कब्जा या अतिक्रमण नहीं करेगा। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर उप तहसीलदार बहरावण्डा के निर्णय दिनांक 29.08.2018 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्ट द्वारा ग्राम कोरडा खुर्द तहसील बहरावण्डा स्थित चरागाह भूमि खसरा नम्बर 86 रकबा 0.10 है. पर बाजरे की काश्त कर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नोटिस जारी कर अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्व भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट अतिक्मी को अतिक्मित आराजी से बेदखल कर शास्ति व तीन माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट द्वारा कोरडा खुर्द तहसील बहरावण्डा स्थित चरागाह भूमि खसरा नम्बर 86 रकबा 0.10 है. पर बाजरे की काश्त कर अतिक्रमण किये जाने पर धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर भूमि खसरा नम्बर 86 रकबा 0.10 है. पर अपीलान्ट शपथकर्ता द्वारा कब्जा हटा लिया जाना एवं भविष्य में भी उक्त भूमि पर कब्जा या अतिक्रमण नहीं किया जाना व्यक्त किया गया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट इस आशय के साथ आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है कि ग्राम कोरडा खुर्द तहसील बहरावण्डा स्थित भूमि चरागाह भूमि खसरा नम्बर 86 रकबा 0.10 है. पर अपीलान्ट का कब्जा नहीं होना, अतिक्रमण शुदा भूमि पर से कब्जा हटा लिया जाना एवं मौके पर भूमि खाली होना तथा भविष्य में उक्त भूमि पर अतिक्रमण नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा सत्यापित किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 29.08.2018 में से सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाकर शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अन्यथा स्थिति में सिविल कारावास सहित अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश दिनांक 29.08.2018 यथावत प्रभावी रहेगा। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मूल शपथ पत्र एवं अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ अभिलेखागार की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2024.05.23 18:23:02 IST
Reason: SelfAttested

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 13.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official